फा. संख्या 6/28/2023-डीजीटीआर

भारत सरकार

वाणिज्य विभाग

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

<u>जांच शुरूआत अधिसूचना</u>

मामला संख्याः एडी (ओआई) - 25/2023

दिनांकः 30 सितम्बर 2023

विषय: थाईलैंड और वियतनाम में उत्पन्न होने वाले या वहां से निर्यात किए जाने वाले "वेल्डेड स्टेनलेस-स्टील पाइप और ट्यूब" के आयात के संबंध में पाटन रोधी जांच की शुरुआत।

फा. संख्या 6/28/2023-डीजीटीआर - स्टेनलेस स्टील पाइप एंड ट्यूब मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन (दिल्ली) और स्टेनलेस स्टील पाइप्स ट्यूब मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (गुजरात) (इसके बाद "आवेदकों" के रूप में संदर्भित) ने सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 के अनुसार नामित प्राधिकरण (इसके बाद "प्राधिकरण" के रूप में संदर्भित) और सीमा शुल्क टैरिफ (पहचान) के अनुसार घरेलू उद्योग की ओर से नामित प्राधिकरण (इसके बाद "प्राधिकरण" के रूप में संदर्भित) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है। पाटित की गई वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रह और क्षति के निर्धारण के लिए नियम, 1995 समय-समय पर यथा संशोधित (इसके बाद इसे "एडी नियम" भी कहा जाता है), जिसमें थाईलैंड और वियतनाम (इसके बाद "विषय देशो" के रूप में संदर्भित) से उत्पन्न या निर्यात किए गए **"वेल्डेड स्टेनलेस-स्टील पाइप और ट्यूब"** (इसके बाद "विषय माल" या "विचाराधीन उत्पाद" के रूप में संदर्भित)) के आयात पर पाटन रोधी जांच शुरू करने की मांग करता है। यह आवेदन भारत में विचाराधीन उत्पाद के घरेलू उत्पादकों के दो संघों द्वारा 29 जुलाई 2021 के व्यापार सूचना 09/2021 के संदर्भ में दायर किया गया है।

<u>क. विचाराधीन उत्पाद</u>

2. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद 'वेल्डेड स्टेनलेस स्टील पाइप और ट्यूब' है।

3. विचाराधीन उत्पाद स्टेनलेस स्टील शीट, स्केल्प, कॉइल या प्लेटों का उपयोग कर निर्मित है। कच्चे माल को आवश्यक आकार में बनाया जाता है और उपयुक्त वेल्डिंग प्रक्रिया के माध्यम से वेल्डेड किया जाता है।

4. विचाराधीन उत्पाद को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची के अध्याय 73 के तहत वर्गीकृत किया गया है और आगे, उपशीर्षकों 7306 40 00, 7306 61 00 और 7306 69 00 के तहत वर्गीकृत किया गया है। विचाराधीन उत्पाद को 7304 11 10, 7304 11 90, 7304 41 00, 7304 51 10, 7304 90 00, 7305 11 29, 7305 90 99, 7306 11 00, 7306 21 00, 7306 21 00, 7306 29 19, 7306 29 19, 7306 29 19, 7306 306 90 के तहत एचएस कोड के तहत आयात किया जा रहा है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

5. वर्तमान जांच के पक्षकार पीयूसी पर अपनी टिप्पणियां प्रदान कर सकते हैं और इस जांच शुरूआत अधिसूचना के पैराग्राफ 24 में दर्शाए गए अनुसार प्राधिकरण के समक्ष दायर दस्तावेजों के गैर-गोपनीय संस्करण के प्रसार के 15 दिनों के भीतर पीसीएन, यदि कोई हो, का प्रस्ताव कर सकते हैं।

<u>ख. समान वस्तु</u>

6. आवेदक ने प्रस्तुत किया है कि आवेदक द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से निर्यातित विषय वस्तु में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है और दोनों समान वस्तुएं हैं। आवेदक द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित उत्पाद आवश्यक उत्पाद विशेषताओं जैसे भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्यों और उपयोग, उत्पाद विनिर्देशों, मूल्य निर्धारण, वितरण और विपणन और माल के टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। उपभोक्ता दोनों का परस्पर उपयोग कर सकते हैं और कर रहे हैं। दोनों तकनीकी और व्यावसायिक रूप से प्रतिस्थापन योग्य हैं, और इसलिए नियमों के तहत इन्हें 'समान वस्तु' के रूप में माना जाना चाहिए। इस प्रकार वर्तमान जांच की शुरुआत के प्रयोजनों के लिए आवेदक द्वारा उत्पादित वस्तु को प्रथम दृष्टया चीन जन. गण. से आयात किए जा रहे उत्पाद के समान वस्तु माना गया है।

<u>ग. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति</u>

7. स्टेनलेस स्टील पाइप एंड ट्यूब्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (दिल्ली) और स्टेनलेस-स्टील पाइप्स ट्यूब मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (गुजरात) द्वारा संबंधित संघों के सदस्यों की ओर से

29 जुलाई 2021 के ट्रेड नोटिस 09/2021 के संदर्भ में आवेदन दायर किया गया है, जिसमें कहा गया है कि यदि घरेलू उद्योग खंडित है, तो घरेलू उद्योग की ओर से एक संघ द्वारा आवेदन दायर किया जा सकता है। बशर्ते कि ऐसे घरेलू उत्पादक कुल पात्र घरेलू उत्पादन के बड़े अनुपात का प्रतिनिधित्व करते हैं। आवेदकों ने प्रस्तुत किया है कि पीयूसी का निर्माण करने वाले घरेलू उद्योग प्रकृति में खंडित हैं, भारत में विषय वस्तुओं के 100 से अधिक उत्पादक हैं। आवेदकों ने प्रस्तुत किया है कि याचिका दायर करने वाले घरेलू उत्पादक विषय देशों में विषय वस्तुओं के निर्यातकों या भारत में विचाराधीन उत्पाद के आयातकों से संबंधित नहीं हैं। इसके अलावा, ऐसे उत्पादकों ने जांच की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है।

8. प्राधिकरण प्रथम दृष्टया यह देखता है कि एसोसिएशन ने घरेलू उत्पादकों की ओर से कार्य किया है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, और आवेदकों द्वारा दायर आवेदन की जांच के बाद, प्राधिकरण प्रथम दृष्टया नोट करता है कि आवेदक नियम 2 (बी) के अर्थ के भीतर 'घरेलू उद्योग' का गठन करते हैं और आवेदन नियम 6 (3) के संदर्भ में खड़े होने के मानदंडोंको पूरा करता है।

9. यह भी नोट किया जाता है कि 29 जुलाई 2021 के व्यापार नोटिस संख्या 09/2021 के अनुसार, "क्षति मार्जिन निर्धारित करने के उद्देश्य से प्राधिकरण आवेदक घरेलू उत्पादकों की विस्तृत जांच को सीमित संख्या में घरेलू उत्पादकों तक सीमित कर सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण जांच के दौरान चोट और चोट के मार्जिन को निर्धारित करने के उद्देश्य से घरेलू उत्पादकों के एक उपयुक्त नमूने पर विचार करेगा।

<u>घ. संबद्ध देश</u>

10. वर्तमान पाटन रोधी जांच के लिए विषय देश थाईलैंड और वियतनाम हैं।

<u>ड जांच की अवधि</u>

11. वर्तमान जांच के उद्देश्य के लिए जांच की अवधि 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 (12 महीने) है। क्षति विश्लेषण अवधि में जांच की अवधि और तीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 और जांच की अवधि शामिल है।

च. थाईलैंड और वियतनाम के लिए सामान्य मूल्य

12. आवेदकों ने दावा किया है कि उनके पास संबंधित देशों में प्रचलित घरेलू बिक्री मूल्य के बारे में जानकारी तक पहुंच नहीं थी। चूंकि उत्पाद के लिए कोई समर्पित टैरिफ वर्गीकरण नहीं है इसलिए आवेदक विषय देशों में आयात की कीमत या संबंधित देशों से निर्यात पर भरोसा नहीं कर सकते हैं।

13. आरंभ करने के उद्देश्य से प्राधिकरण ने थाईलैंड और वियतनाम के लिए उत्पादन की लागत के आधार पर लाभ और बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्चों के साथ-साथ उचित लाभ मार्जिन के साथ सामान्य मूल्य पर विचार किया है।

छ. निर्यात कीमत

14. विषय देशों से विषय वस्तुओं का निर्यात मूल्य विषय वस्तुओं के सीआईएफ मूल्य पर विचार करके निर्धारित किया गया है। शुद्ध निर्यात मूल्य पर पहुंचने के लिए बंदरगाह व्यय, अंतर्देशीय माल ढुलाई, समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, बैंक कमीशन क्रेडिट लागत के कारण मूल्य समायोजन किए गए हैं।

ज. पाटन मार्जिन

15. सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्यों की तुलना एक्स-फैक्ट्री स्तर पर की गई है जो प्रथम दृष्टया स्थापित करता है कि पाटन मार्जिन थाईलैंड और वियतनाम से आयातित विषय वस्तुओं के संबंध में न्यूनतम स्तर से ऊपर है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया इस बात के पर्याप्त साक्ष्य हैं कि थाईलैंड और वियतनाम से विचाराधीन उत्पाद उक्त देशों के निर्यातकों द्वारा भारत के घरेलू बाजार में डंप किया जा रहा है।

झ. क्षति और कारणात्मक संबंध

16. घरेलू उद्योग को हुई क्षति के आकलन के लिए आवेदकों द्वारा दी गई सूचना पर विचार किया गया है। आवेदकों ने कथित पाटन के परिणामस्वरूप हुई क्षति के संबंध में प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं जिसके परिणामस्वरूप पूर्ण और सापेक्ष रूप से आयात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। आयात की मात्रा में वृद्धि की दर मांग में वृद्धि की दर से बहुत अधिक है। आवेदकों ने दावा किया है कि आयात घरेलू उद्योग की कीमतों को कम कर रहा है और दबा रहा है। इसने क्षमता उपयोग और वस्तुसूची के संबंध में घरेलू उद्योग के प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है, और जांच की अवधि में इसकी लाभप्रदता में गिरावट आई है। आवेदकों ने दावा किया है कि भारत में प्रतिकारी शुल्क और पर्याप्त क्षमता लागू होने के बावजूद घरेलू उत्पादक थाईलैंड

और वियतनाम से आयात के कारण मांग में पर्याप्त हिस्सा प्राप्त करने में असमर्थ थे। पाटन रोधी जांच शुरू करने को उचित ठहराने के लिए संबंधित देशों से पाटित किए गए आयातों से घरेलू उद्योग को सामग्री को नुकसान पहुंचने के प्रथम दृष्टया पर्याप्त सबूत हैं।

ञ. पाटन रोधी जांच की शुरुआत

17. प्राधिकरण आवेदकों द्वारा प्रदान की गई जानकारी की सटीकता और पर्याप्तता के रूप में संतुष्ट है। आवेदकों द्वारा दायर विधिवत प्रमाणित आवेदन के आधार पर और संबंधित देशों में उत्पन्न या निर्यात किए गए विषय माल के पाटन के संबंध में प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर संतुष्टि तक पहुंचने के बाद विषय वस्तुओं की कथित पाटन के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को परिणामी नुकसान और इस तरह की क्षति और पाटित किए गए आयात के बीच कारण संबंध, और अधिनियम की धारा 9ए के साथ-साथ एडी नियमों के नियम 5 के अनुसार, प्राधिकरण, इसके द्वारा, संबंधित देशों में उत्पन्न या निर्यात किए जाने वाले विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन के अस्तित्व, डिग्री और प्रभाव को निर्धारित करने और पाटन रोधी शुल्क की उचित राशि की सिफारिश करने के लिए एक पाटन रोधी जांच शुरू करता है। जो यदि लगाया जाता है तो घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।

ट. प्रक्रिया

18. वर्तमान जांच के लिए नियमों के नियम 6 में दिए गए सिद्धांतों का पालन किया जाएगा।

ठ. सूचना प्रस्तुत करना

19. निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजे जाने वाले सभी पत्र ई-मेल पतों dd11-dgtr@gov.in और dd16-dgtr@gov.in पर तथा उनकी एक प्रति adg14-dgtr@gov.in और adv13-dgtr@gov.in को भेजी जानी चाहिए । यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ड फार्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फार्मेट में खोजे जाने योग्य हो ।

20. संबंधित देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में अपने दूतावास के माध्यम से संबंधित देश की सरकार और भारत में आयातकों और उपयोगकर्ताओं, जो विषय वस्तुओं से जुड़े होने के लिए जाने जाते हैं, को अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे इस जांच शुरूआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर सभी प्रासंगिक जानकारी दर्ज कर सकें। ऐसी सभी जानकारी इस जांच शुरूआत अधिसूचना, नियमों और प्राधिकरण द्वारा जारी लागू व्यापार नोटिस द्वारा निर्धारित फॉर्म और तरीके से दायर की जानी चाहिए।

21. कोई अन्य इच्छुक पक्षकार भी इस जांच शुरूआत अधिसूचना, नियमों और प्राधिकरण द्वारा जारी लागू व्यापार नोटिसों द्वारा निर्धारित प्रपत्र और तरीके से इस जांच शुरूआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर वर्तमान जांच से संबंधित एक प्रस्तुति दे सकता है।

22. प्राधिकरण के समक्ष कोई भी गोपनीय प्रस्तुति देने वाले किसी भी पक्ष को अन्य इच्छुक पक्षों को इसका एक गैर-गोपनीय संस्करण उपलब्ध कराना आवश्यक है।

23. इच्छुक पार्टियों को आगे निर्देशित किया जाता है कि वे व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट (https://www.dgtr.gov.in/) को नियमित रूप से देखते रहें और जानकारी के साथ-साथ आगे की जाँच पड़ताल प्रक्रियाओं से अवगत रहें।

ड. समय सीमा

24. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को ईमेल पतों dd11-dgtr@gov.in और dd16-dgtr@gov.in तथा adg14-dgtr@gov.in और adv13-dgtr@gov.in को एक प्रति के साथ प्राधिकारी द्वारा आवेदक के आवेदन के गैर-गोपनीय संस्करण को परिचालित किए जाने अथवा एडी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को प्रेषित किए जाने की तारीख से 30 दिनों के भीतर इमेल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी एडी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

25. सभी इच्छुक पार्टियों को सलाह दी जाती है कि वे तत्काल मामले में अपनी रुचि (हित की प्रकृति सहित) बताएं और इस अधिसूचना में निर्धारित उपरोक्त समय सीमा के भीतर अपने प्रश्नावली के जवाब दाखिल करें।

26. जहां कोई इच्छुक पक्ष प्रस्तुतियाँ दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगता है, उसे एडी नियम, 1995 के नियम 6(4) के संदर्भ में ऐसे विस्तार के लिए पर्याप्त कारण प्रदर्शित करना होगा और ऐसा अनुरोध इस अधिसूचना में निर्धारित समय के भीतर आना चाहिए।

ढ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

27. जहां वर्तमान में कोई पक्षकार गोपनीय अनुरोध करता है या प्राधिकारी के समक्षगोपनीय आधार पर सूचना देता है, वहां उसे एडी नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार और इस संबंध में

प्राधिकारी द्वारा जारी की गई संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसी सूचना का अगोपनीय अंश साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

28. ऐसे अनुरोध पर प्रत्येक पृष्ठ पर 'गोपनीय' या 'अगोपनीय' स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्राधिकारी को किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा "अगोपनीय" सूचना माना जाएगा और प्राधिकारी को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने की स्वतंत्रता होगी।

29. गोपनीय संस्करण में वे सभी जानकारी शामिल होंगी, जो प्रकृति से, गोपनीय और / या अन्य जानकारी है, जिसे ऐसी जानकारी का आपूर्तिकर्ता गोपनीय के रूप में दावा करता है। ऐसी जानकारी के लिए जिसे प्रकृति से गोपनीय होने का दावा किया जाता है, या जिस जानकारी पर अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा किया जाता है, सूचना के आपूर्तिकर्ता को प्रदान की गई जानकारी के साथ एक अच्छा कारण विवरण प्रदान करना आवश्यक है कि ऐसी जानकारी का खुलासा क्यों नहीं किया जा सकता है।

30. इच्छुक पक्षों द्वारा दायर की गई जानकारी का गैर-गोपनीय संस्करण गोपनीय संस्करण की प्रतिकृति होना चाहिए, जिसमें गोपनीय जानकारी अधिमानतः अनुक्रमित या रिक्त की गई हो (जहां अनुक्रमण संभव नहीं है) और ऐसी जानकारी को उस जानकारी के आधार पर उचित और पर्याप्त रूप से संक्षेप में किया जाना चाहिए जिस पर गोपनीयता का दावा किया गया है।

31. गैर-गोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तार में होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत जानकारी के सार की उचित समझ हो सके। हालांकि असाधारण परिस्थितियों में गोपनीय जानकारी प्रस्तुत करने वाला पक्ष यह संकेत दे सकता है कि ऐसी जानकारी सारांश के लिए अतिसंवेदनशील नहीं है और नियम 1995 के नियम 7 के संदर्भ में पर्याप्त और पर्याप्त स्पष्टीकरण वाले कारणों का एक बयान, और प्राधिकरण द्वारा जारी उचित व्यापार नोटिस, कि ऐसा सारांश क्यों संभव नहीं है, प्राधिकरण की संतुष्टि के लिए प्रदान किया जाना चाहिए।

32. इच्छुक पक्ष इस जांच शुरूआत अधिसूचना के पैराग्राफ 24 में दर्शाए गए दस्तावेजों के गैर-गोपनीय संस्करण के प्रसार की तारीख से 7 दिनों के भीतर घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई गोपनीयता के मुद्दों पर अपनी टिप्पणियां दे सकते हैं।

33. सार्थक अगोपनीय अंश के बिना किया गया कोई अनुरोध या एडी नियमावली, 1995 के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार गोपनीय दावे संबंधी किसी अनुरोध को पर्याप्त और पूरे कारणों के विवरण के बिना प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

34. प्राधिकारी प्रस्तुत सूचना की प्रकृति की जांच करने पर गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। यदि प्राधिकरण संतुष्ट है कि गोपनीयता के लिए अनुरोध नहीं आवश्यक है या यदि जानकारी का आपूर्तिकर्ता या तो जानकारी को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत या सारांश रूप में इसके प्रकटीकरण को अधिकृत करने के लिए तैयार नहीं है, तो वह ऐसी जानकारी की अवहेलना कर सकता है।

35. प्रदान की गई जानकारी की गोपनीयता की आवश्यकता को संतुष्ट होने और स्वीकार करने पर प्राधिकारी ऐसी जानकारी प्रदान करने वाले पक्ष के विशिष्ट प्राधिकरण के बिना किसी भी पक्ष को इसका खुलासा नहीं करेगा।

36. पंजीकृत इच्छुक दलों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी जिसमें उन सभी को अनुरोध किया जाएगा कि वे अपनी प्रस्तुतियों के गैर-गोपनीय संस्करण और अन्य जानकारी को अन्य सभी इच्छुक पक्षों को ईमेल करें।

<u>ण. असहयोग</u>

37. यदि कोई इच्छुक पक्ष इस प्रारंभिक अधिसूचना में प्राधिकरण द्वारा निर्धारित समय के भीतर या उचित अवधि के भीतर या अन्यथा आवश्यक जानकारी प्रदान नहीं करता है, या बाद में अलग-अलग संचार के माध्यम से प्रदान की गई समय अवधि में आवश्यक जानकारी प्रदान नहीं करता है, या जांच में महत्वपूर्ण रूप से बाधा डालता है तो प्राधिकरण ऐसे इच्छुक पक्ष को गैर-सहयोगी घोषित कर सकता है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्षों को रिकॉर्ड कर सकता है और केंद्र सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकता है। जैसा कि यह उचित लगता है।

(अनन्त स्वरूप)
निर्दिष्ट प्राधिकारी